न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स / एल.आर. / 2003 / 1566 / जयपुर।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बस्सी जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1– काना पुत्र गंगाराम,
2– पन्ना पुत्र गंगाराम,
3– गोविन्दा पुत्र गंगाराम,
4– गोपाल लाल पुत्र ग्यारसा,
5– झूंथालाल पुत्र ग्यारसा,
6– धीस्या पुत्र धन्ना (मृतक) जरिये वारिसानः–
6/1. बाबूलाल पुत्र घीसा (मृतक) के वारिसानः–
6/1/1. पप्पू पुत्र बाबूलाल,
6/1/2. नानगी देवी पत्नि बाबूलाल,
6/1/3. सीता पुत्री बाबूलाल,
6/1/3. प्रियंका पुत्री बाबूलाल।
6/2. रतनलाल पुत्र घीसा,
6/3. तीजा देवी पत्नि घीसा,
6/4. गंगादेवी पुत्री घीसा,
6/5. मूली देवी पुत्री घीसा,
6/6. गोपीदेवी पुत्री घीसा,
6/7. कमली पुत्री घीसा।
7– मूल्या पुत्र भोगा,
8– धन्ना पुत्र पांचू (मृतक) जरिये वारिसानः–
8/1. कल्याण पुत्र पांचू,
9– कल्याण पुत्र पांचू,
10– जय नारायण पुत्र बिरधा,
समस्त कौम मीना निवासीगण गुढामीना तहसील बस्सी जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

एकल–पीठ
श्री केसर लाल मीणा, सदस्य

———

उपस्थित :
श्री शिवप्रकाश चौधरी, विद्वान उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

———

रेफरेन्स/एलआर/2003/1566/जयपुर
सरकार बनाम काना वगैरह

निर्णय

दिनांक :– 04/12/2025.

1– हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–82 के अन्तर्गत न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जयपुर ने अपने आदेश एंव अभिशंषा दिनांक 22–01–2003 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2– रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, बस्सी ने जरिये क्रमांक भू.अ./98/3096 दिनांक 04–08–98 से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि एकीकरण खतौनी जमाबंदी संवत् 2018 ग्राम गुढामीना तहसील बस्सी में खसरा संख्या 206 रकबा 6 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके जयपुर बहतमाम पुजारी बजरंगदास कौम ब्रा0 की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में गंगाराम पुत्र श्योबक्स, धीस्या पुत्र धन्ना, भौरीलाल पुत्र भुवाना, भोमा, धन्ना, बिरधा, कल्याण पि. पांचू कौम मीना सा. देह का नाम दर्ज था। कालान्तर में जमाबंदी संवत् 2021–24 बनाते समय माफी मंदिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी माफी मंदिर के बजाय कृषक गंगाराम पुत्र श्योबक्स, धीस्या पुत्र धन्ना, भौरीलाल पुत्र भुवाना, भोमा, धन्ना, बिरधा, कल्याण पि. पांचू जाति मीना के नाम दर्ज कर दी गई। खातेदार गंगाराम के फोत होने पर विरासत ना.सं. 22 दिनांक 13–06–68 से गंगाराम के बजाय काना, पन्ना, ग्यारसा, गोविन्दा पि. गंगाराम के नाम, खातेदार भोमा के फोत होने पर जरिये विरासत ना.सं. 39 से मूल्या पुत्र भोमा के नाम व बिरधा के फोत होने पर जरिये विरासत ना.सं. 195 से जयनारायण पुत्र बिरधा के हक में दर्ज होकर वर्तमान जमाबंदी संवत् 2053–57 में काना, पन्ना, गोविन्दा पि. गंगाराम, गोपाल लाल, झूंथालाल पि. ग्यारसा, धीस्या पुत्र धन्ना, मूल्या पुत्र भोमा, धन्ना, कल्याण पि. पांचू, जयनारायण पुत्र बिरधा जाति मीना सा.देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार भूमि का जो हस्तांतरण हुआ है, वह गलत है। अतः उक्त प्रविष्टियां विलोपित की जाकर वापस भूमि माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके जयपुर के नाम लगाई जावे।

3– उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुज होने पर इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22–01–2003 द्वारा तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत खातेदारी को निरस्त कर पुनः माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके जयपुर के नाम दर्ज करने हेतु हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्व मंडल के समक्ष प्रेषित किया है।

4– समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने एवं अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थीगण स्वयं अथवा इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, जिस पर प्रकरण में विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

5– बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके जयपुर की खातेदारी में दर्ज थी, जिसे बाद में माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। माफी मंदिर की भूमि का हस्तांतरण अप्रार्थीगण के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हुआ है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी को या किसी भी व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो गये है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रांरभ से ही प्रभाव शून्य है।

अंत में प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि को निजी खातेदारी से हटाकर पुनः माफी मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु बाबत् निवेदन किया गया।

6— विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध एकीकरण खतौनी जमाबंदी संवत् 2018 ग्राम गुढामीना तहसील बस्सी स्थित विवादित भूमि खसरा संख्या 206 रकबा 6 बिस्वा माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके जयपुर के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2021—2024 के अनुसार उक्त भूमि गंगाराम पुत्र श्योबक्स हि. 1/4, धीस्या पुत्र धन्ना 1/4, भौरीलाल पुत्र भुवाना हि. 1/4 व भोमा, धन्ना, बिरधा, कल्याण पि. पांचू हि. 1/4 कौम मीना सा. देह के नाम दर्ज है। खातेदार गंगाराम के फोत होने पर विरासत ना.सं. 22 दिनांक 13—06—68 से गंगाराम के बजाय काना, पन्ना, ग्यारसा, गोविन्दा पि. गंगाराम के नाम, खातेदार भोमा के फोत होने पर जरिये विरासत ना.सं. 39 से मूल्या पुत्र भोमा के नाम व बिरधा के फोत होने पर जरिये विरासत ना.सं. 195 से जयनारायण पुत्र बिरधा के हक में दर्ज होकर वर्तमान जमाबंदी संवत् 2053—57 में काना, पन्ना, गोविन्दा पि. गंगाराम, गोपाल लाल, झूंथालाल पि. ग्यारसा, धीस्या पुत्र धन्ना, मूल्या पुत्र भोमा, धन्ना, कल्याण पि. पांचू, जयनारायण पुत्र बिरधा जाति मीना सा.देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। चूंकि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है तथा प्रार्थी पेरोकार सरकार के कथन अखण्डनीय रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि साबिक राजस्व अभिलेख में माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके जयपुर के नाम दर्ज रही है। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है तथा मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है तथा ऐसी भूमि बाबत् पूर्व में किये गये हस्तांतरण व अंतरण विधिनुसार वर्जित है। उक्त तथ्यों एवं विधिक बिन्दुओं के आलोक में मन्दिर माफी की खातेदारी भूमि का अप्रार्थीगण के नाम हस्तांतरण एवं अन्तरण होना धारा—46 व 16 आर.टी.एक्ट के तहत् विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः उपरोक्त मंदिर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

7— परिणामतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि ग्राम गुढामीना तहसील बस्सी स्थित भूमि खसरा संख्या 206 रकबा 6 बिस्वा बाबत् अप्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज समस्त खातेदारी इन्द्राजों को निरस्त करते हुए विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर श्री सीतारामजी के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केसर लाल मीणा)
सदस्य